



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार)



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, GOVT. OF INDIA

संख्या:- आईआईटीआर/सा0/दिवस/2024  
No: IITR/Gen/Day/2024

दिनांक:-26-11-2024  
Dated:- 26-11-2024

**कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM**

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर ने सीएसआईआर मुख्यालय के पत्र संख्या 5-1(17)/2008-PD दिनांक 25-11-2024 के अनुपालन में संस्थान में संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रमुख/विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष द्वारा सभी कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ही आज दिनांक 26-11-2024 को सुबह 11 बजे संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। In pursuance with CSIR Hqrs letter No. 5-1(17)/2008-PD dated 25-11-2024, Director, CSIR-IITR has approved that all the employees must take a **Pledge regarding Constitution Day at their respective working places at the institute today on 26-11-2024 at 11:00 AM by their Heads/Divisional Heads/Sectional Heads.**

  
26-11-24

(एल0एन0पाण्डेय/L.N. PANDEY)

अनुभाग अधिकारी(सा0)/SECTION OFFICER (Gen)

प्रतिलिपि :-

इंट्रानेट द्वारा सूचनार्थ/All informed through intranet

# भारत का संविधान

## उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

<sup>1</sup> संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

# THE CONSTITUTION OF INDIA

## PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a <sup>3</sup>[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

**JUSTICE**, social, economic and political;

**LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship;

**EQUALITY** of status and of opportunity;

and to promote among them all

**FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the <sup>4</sup>[unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

---

<sup>3</sup> Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 2, for "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (w.e.f. 3-1-1977).

<sup>4</sup> Subs. by s. 2, ibid., for "unity of the Nation" (w.e.f. 3-1-1977).